फर्द अहकाम
(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **कोटक महिन्द्रा बैक लि0** बनाम **मै0 वोकेशनल एज्युकेशन ट्रस्ट**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र रिव्यू** नम्बर 15 / 33 / 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.07.19	आज यह प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थी (प्रकरण में अप्रार्थी) वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2018 को एक पक्षीय पारित किया गया है, जिससे आदेश के जरिए अमल में लाई गई समस्त राशि को गैरकानूनी फरमाया जाकर उनको अपास्त किया जावें। हमनें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.05.2019 में संलग्न दस्तावेजता एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के संबंध में पूर्व में ही इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2018 को आदेश दिये जा चुके है कि धारा 14 सिक्योरटाईजेशन एक्ट का स्त्रोत सीमित है। इस में secured creditor को रहन सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतु वांछित सहायता उपलब्ध करवाना होता है। ऋण देने ओर लेने वाले के बीच में रहन रखी सम्पत्ति बाबत निर्णय करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है। यदि आवेदक इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.11.2018 से आहत है तो धारा 17 में डी0आर0टी0 जयपुर में अपील करने के लिए स्वतंत्र है। अतः इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.11.2018 में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थी (प्रकरण में अप्रार्थी) वोकेशनल एजुकेशन फाउन्डेशन पंजीकृत कार्यालय प्लाट संख्या 4, नोलेज पार्क–1, इनसटीट्यूशनल एरिया सूरजपुर कसना रोड ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्व नगर उत्तर प्रदेश–201310 कार्यालय ई 216 ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली–110065 द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र रिव्यू खारिज किया जाता है। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02–07–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। जिला कलक्टर,अलवर।	